रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042020-219212
CG-DL-E-28042020-219212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2020/वैशाख 8, 1942
No. 162]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2020/VAISAKHA 8, 1942

भारतीय दन्त परिषद

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2020

"भारतीय दन्त परिषद (नए दन्त कॉलेजों की स्थापना, प्रशिक्षण या अध्ययन के उच्चतर अथवा नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने और दन्त कॉलेजों (दन्त महाविद्यालय) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006" में मूल विनियमों को संशोधित करने हेतु विनियम।

फा. सं. डीई-22(14)-2019.—दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पत्र सं. V.12025/1/1998-डीई दिनाँक 7.8.2008 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय दन्त परिषद, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, दिनांक 12 जनवरी, 2006 में प्रकाशित मौजूदा प्रमुख भारतीय दन्त परिषद (नए दन्त कॉलेजों की स्थापना, प्रशिक्षण या अध्ययन के उच्चतर अथवा नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

(1) इन विनियमों को "भारतीय दन्त परिषद (नए दन्त कॉलेजों की स्थापना, प्रशिक्षण या अध्ययन के उच्चतर अथवा नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) (14वां संशोधन) विनियम, 2020" कहा जाएगा।

(2) ये अधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. मौजूदा "भारतीय दन्त परिषद (नए दन्त कॉलेजों की स्थापना, प्रशिक्षण या अध्ययन के उच्चतर अथवा नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006", (जिसे इसके बाद मूल

विनियम के नाम पर संदर्भित किया जाएगा) (क) विनियम 7, खंड (1), 4 पंक्तियों में, अंकों और शब्दों में "भारतीय दन्त परिषद के पक्ष में, रुपये 3 लाख की राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर के माध्यम से दिल्ली में देय" को अब *"भारतीय दन्त परिषद के पक्ष में, रुपये 9 लाख की राशि एवं लागू जीएसटी डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सचिव, भारतीय दन्त परिषद, को दिल्ली में देय"* में प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. मूल विनियम, (ख) विनियम 7, खंड (1), अनुच्छेद के अंत में निम्नलिखित प्रावधान अन्तर्स्थापित किया जाता है, अर्थात्:-

बशर्ते कि शासकीय दन्त कॉलेजों को आवेदन/निरीक्षण शुल्क या कॉलेज की स्थापना या सीटों को बढ़ाने या नवीनीकरण या मान्यता या आवधिक या पूर्व-पीजी/वार्षिक शुल्क में सम्मिलित शुल्क में से किसी भी प्रकार के शुल्क से छूट दी जाएगी।

बशर्ते कि नए दन्त कॉलेजों (महाविद्यालय) की स्थापना/ नए उच्च पाठ्यक्रम की स्थापना/यूजी या पीजी स्तर पर सीटों को केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय दन्त परिषद को एक बार पंजीकृत और अग्रेषित कर दिये जाने के उपरांत, किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

4. मूल विनियम 11, खंड (2), खंड (2) के लिए निम्नलिखित खंड को एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(2) नवीनीकरण आवेदन की अनुमति के लिए चालू शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से छह महीने पहले समय-समय पर प्रत्येक अलग निरीक्षण और अनुपालना सत्यापन, जैसा कि मामला हो, के साथ गैर वापसी शुल्क 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि के साथ प्रत्येक परिषद द्वारा केंद्र सरकार की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। परिषद के सभी मामले के नवीनीकरण की सिफारिशें की जाएगी और केंद्रीय सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी और इसे संबंधित दन्त कॉलेज को यथासमय अवगत कराएगी अथवा ऐसे निर्धारित समय के पूर्व जिसे समय-अनुसूची में निर्दिष्ट किया अथवा जैसा कि समय-समय पर इसे संशोधित किया गया हो।

5. मूल विनियम 11, खंड (2), प्रथम प्रावधान के पश्चात, एतदद्वारा निम्नलिखित प्रावधान को अन्तर्स्थापित किया जाता है:-

बशर्ते कि, शासकीय दन्त कॉलेजों (दंत महाविद्यालयों) को छोडकर, प्रत्येक दन्त कॉलेज/संस्थान/ विश्वविद्यालय द्वारा, संबंधित विश्वविद्यालय से प्रदान की जाने वाली बीडीएस डिग्री की मान्यता के प्रयोजन हेतु, मान्यता निरीक्षण के लिए समय-समय पर मान्यता शुल्क के रूप में 3 लाख रुपये की राशि एवं लागू जीएसटी के साथ और समय-समय पर अनुवर्ती निरीक्षण के लिए 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी।

बशर्ते कि, दन्त चिकित्सा विनियम की बीडीएस डिग्री की धारा 10 (2) की मान्यता के पश्चात, शासकीय दन्त कॉलेजों को छोडकर, प्रत्येक दन्त कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले या समय-समय पर निर्दिष्ट अनुसार, वार्षिक शुल्क 1 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी।

बशर्ते कि, प्रत्येक मान्यता प्राप्त दन्त कॉलेज, डीसीआई द्वारा संचालित आवधिक/ प्री-पीजी निरीक्षण को अपने निरीक्षक(कों)/आगंतुक(कों) की शिकायत आधार पर या आवधिक आधार पर या प्री-पीजी निरीक्षण या इसके अलावा अनुवर्ती अनुपालना सत्यापन के लिए राशि शुल्क रुपये 1.5 लाख एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी। यदि कोई निरीक्षण होता है तो 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी। यदि किसी कारण से कोई भी डेंटल कॉलेज/संस्थान उचित उपलब्धियां प्राप्त करने के पश्चात किसी कारण से भुगतान को प्रेषित करने में विफल रहता है, तो भारतीय दन्त परिषद, केंद्र सरकार को इसकी उपयुक्त सिफारिश करेगा कि जब तक ऐसे कॉलेज/संस्थान द्वारा डीसीआई को भुगतान नहीं किया जाता है, तो विनियमन 11ए के तहत प्रवेश को रोक दिया जाए, अथवा दंत चिकित्सक अधिनियम की धारा 16ए के तहत इसकी मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया आरंभ की जाए।

6. मूल विनियम 14, खंड (1), खंड (1) के लिए अंकों और शब्दों में "प्रत्येक विशेषज्ञता के लिए 2 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर फार्म सचिव, भारतीय दन्त परिषद के नाम पर दिल्ली में देय" को अब "प्रत्येक

विशेषज्ञता के लिए 4.5 लाख रुपये एवं देय जीएसटी का डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सचिव, भारतीय दन्त परिषद के नाम पर दिल्ली में देय" द्वारा प्रस्थापित किया जाता है।

7. मूल विनियम 14, खंड (1), अनुच्छेद के अंत में, एतदद्वारा निम्नलिखित प्रावधान को अन्तर्स्थापित किया जाता है, अर्थात्:-

बशर्ते कि, शासकीय दन्त कॉलेजों को आवेदन/निरीक्षण या कॉलेज की स्थापना या सीटों की वृद्धि या नवीनीकरण या मान्यता या आवधिक या प्री-पीजी/वार्षिक शुल्क में अंतर्निहित सभी शुल्क में से प्रत्येक शुल्क से छूट दी जाएगी।

बशर्ते कि, केंद्र सरकार द्वारा नए दन्त कॉलेज की स्थापना/नए उच्च पाठ्यक्रम को शुरु करना/यूजी या पीजी की सीटों को बढ़ाने के लिए भारतीय दन्त परिषद को एक बार पंजीकृत और अग्रेषित कर दिये जाने के उपरांत, किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नही किया जाएगा।

8. मूल विनियम 17, खंड (3), खंड (3) के लिए निम्नलिखित खंड को एतदद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(3) नवीनीकरण आवेदन की अनुमति के लिए चालू शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से छह महीने पहले समय-समय पर प्रत्येक अलग निरीक्षण और अनुपालना सत्यापन, जैसा कि मामला हो, के साथ गैर वापसी शुल्क 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि के साथ प्रत्येक परिषद द्वारा केंद्र सरकार की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। परिषद के सभी मामले के नवीनीकरण की सिफारिशें की जाएगी और केंद्रीय सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी और इसे संबंधित दन्त कॉलेज को यथासमय अवगत कराएगी अथवा ऐसे निर्धारित समय के पूर्व जिसे समय-अनुसूची में निर्दिष्ट किया अथवा जैसा कि समय-समय पर इसे संशोधित किया गया हो।

9. मूल विनियम 17, खंड (3), खंड (3) के पश्चात, एतदद्वारा निम्नलिखित प्रावधान को अन्तर्स्थापित किया जाता है:-

बशर्ते कि, शासकीय दन्त कॉलेजों को छोडकर, प्रत्येक दन्त कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी किसी विशेषज्ञता में पीजी पाठ्यक्रम की मान्यता के प्रयोजन हेतु, मान्यता निरीक्षण के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट मान्यता शुल्क 3 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि, और समय-समय पर अनुवर्ती निरीक्षण/अनुपालना सत्यापन के लिए 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी।

बशर्ते कि, दन्त चिकित्सा विनियम की एमडीएस डिग्री की धारा 10 (2) की मान्यता के पश्चात, शासकीय दन्त कॉलेजों को छोडकर, प्रत्येक दन्त कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले या समय-समय पर निर्दिष्ट वार्षिक शुल्क रुपये 25,000/- एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी।

बशर्ते कि कोई वार्षिक शुल्क पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि, प्रत्येक मान्यता प्राप्त दन्त कॉलेज, डीसीआई द्वारा संचालित आवधिक/प्री-पीजी निरीक्षण को अपने निरीक्षक(कों)/आगंतुक(कों) की शिकायत के आधार पर या आवधिक आधार पर या प्री-पीजी निरीक्षण या इसके अलावा अनुवर्ती अनुपालना सत्यापन के लिए राशि शुल्क 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी। यदि कोई अनुपालना सत्यापन होता है तो 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी।

10. मूल विनियम 20, खंड(1), खंड(1) के लिए अंको और शब्दों में *"प्रत्येक विशेषज्ञता के लिए रुपये 2 लाख (रुपये 2 लाख स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता को बढाने हेतु प्रति विशेषज्ञता आधार पर) डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर केमध्यम से सचिव, भारतीय दन्त परिषद के नाम पर दिल्ली में देय"* को *"प्रत्येक विशेषज्ञता के लिए रुपये 4.5 लाख एवं देय जीएसटी का डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस (रुपये 4.5 लाख एवं लागू जीएसटी के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता को बढाने हेतु प्रति विशेषज्ञता आधार पर) के माध्यम से सचिव, भारतीय दन्त परिषद के नाम पर दिल्ली में देय"* द्वारा प्रस्थापित किया जाता है।

11. मूल विनियम 20, खंड (1), अनुच्छेद के अंत में, एतदद्वारा निम्नलिखित प्रावधान को अन्तर्स्थापित किया जाता है:-

बशर्ते कि शासकीय दन्त कॉलेजों को आवेदन/निरीक्षण शुल्क या कॉलेज की स्थापना या सीटों को बढ़ाने या नवीनीकरण या मान्यता या आवधिक या पूर्व-पीजी/वार्षिक शुल्क में सम्मिलित शुल्क में से किसी भी प्रकार के शुल्क से छूट दी जाएगी।

बशर्ते कि नए दन्त कॉलेजों की स्थापना/नए उच्च पाठ्यक्रम की स्थापना/यूजी या पीजी पाठ्यक्रमों पर सीटों को केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय दन्त परिषद को एक बार पंजीकृत और अग्रेषित कर दिये जाने के उपरांत, किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

12. मूल विनियम 23 में, खंड (4) के पश्चात, तृतीय संशोधन द्वारा सम्मिलित खंड (5) को अब एतद अन्तर्स्थापित किया जाता है, नामतः-

(5) कॉलेज द्वारा उपयुक्त समय पर अग्रिम रूप में यूजी/पीजी की प्रत्येक विशेषज्ञता में सीटों को बढ़ाने के नवीनीकरण की अनुमति के लिए निरीक्षण शुल्क 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी, ताकि अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकरण का समय पर निरीक्षण किया जा सके, जब तक कि सीटों की वृद्धि के लिए कॉलेज को मान्यता नहीं दे दी जाती है। इसके अलावा, निरीक्षण तिथि से 15 दिनों के भीतर, यदि कोई हो तो, कॉलेज द्वारा प्रत्येक अनुवर्ती अनुपालना सत्यापन के लिए शुल्क 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी।

बशर्ते कि, शासकीय दन्त कॉलेजों को छोडकर, प्रत्येक दन्त कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा, संबंधित विश्वविद्यालय से प्रदान की जाने वाली किसी विशेषज्ञता में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीटों की वृद्धि की मान्यता के प्रयोजन हेतु, मान्यता निरीक्षण के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट मान्यता शुल्क 3 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि, और इसके उपरांत समय-समय पर अनुवर्ती निरीक्षण/अनुपालना सत्यापन के लिए 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि देय होगी।

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./17/2020-21]

फुट नोट (पाद टिप्पणी): मूल विनियम नामतः, "भारतीय दन्त परिषद (नए दन्त कॉलेजों की स्थापना, प्रशिक्षण या अध्ययन के उच्चतर अथवा नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006" दिनांक 12.1.2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किये गये एवं अधिसूचना दिनांक 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016, 05.07.2017, 05.07.2017, 12.10.2017, 15.03.2018, 11.06.2018 के माध्यम से संशोधित किए गए हैं।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2020

A Regulations to further amend the Principal Regulations “Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006”

F. No. DE-22(14)-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, in supersession of GOI’s letter No.V.12025/1/1998-DE dated 7.8.2008, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing principal Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12th January, 2006 namely:–

1. Short title and commencement:–

(1) These Regulations may be called the "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (14th Amendment) Regulations, 2020".

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In existing "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006", (herein after referred to as the Principal Regulations), (a) Regulation 7, clause (1), long line 4, the word and figure "Rs. 3 lakhs *in the form of a Demand Draft/Pay Order in favour of Dental Council of India, payable at Delhi*" is substituted by words "Rs.9 lakhs plus GST as applicable, *by Demand Draft/Pay Order/NEFT/RTGS in favour of Secretary, Dental Council of India, payable at Delhi.*"

3. In the Principal Regulations, (b) Regulation 7, clause (1), at the end of the clause, following proviso is inserted, namely:-

Provided that the Government Dental Colleges shall be exempted from any kind of fee, including fee for application/inspection either for establishment of the college or increase of seats or renewal or recognition or periodic or pre-PG / annual fee.

Provided further that any scheme for establishment of new dental college / introducing new higher course / increase of seats at UG or PG level is once registered and forwarded by the Central Government to Dental Council of India, the fee shall not be refunded in any circumstances.

4. In the Principal Regulation 11, clause (2), for clause (2), the following clause is hereby substituted, namely:-

(2) The application for renewal of permission shall be submitted to the Council alongwith a non-refundable fee of Rs. 1.5 lakhs plus GST as applicable from time to time, separately for each inspection or compliance verification, as a case may be, for renewal of permission, with a copy to the Central Government, six months prior to the expiry of the current academic session. The recommendation of the Council in all cases of renewal shall be made, and Central Government shall take its final decision and communicate it to the respective dental college on or before such date as may be prescribed in the time schedule as amended from time to time

5. In the Principal Regulation 11, clause (2), after first proviso, the following proviso are hereby inserted, namely:-

Provided further that each and every dental college / institution / university except Government Dental Colleges for purpose of recognition of its BDS degree awarded by its affiliating university, shall pay a recognition fee of Rs.3 lakhs plus GST as applicable from time to time for recognition inspection, and Rs.1.5 lakhs plus GST as applicable from time to time, for subsequent Inspection/s.

Provided further that after recognition of BDS degree u/s 10 (2) of the Dentists Act, each and every dental college / institution / university except Government Dental Colleges, shall pay every year, an annual fee of Rs. 1 lakh plus GST as applicable from time to time on or before 31st March of every year.

Provided further that each and every recognized dental college shall pay fee of an amount of Rs. 1.5 lakh plus GST as applicable for its each periodic/pre-PG inspection conducted by DCI through its inspector(s) / visitor(s) either on complaint or on periodic basis or as pre-PG inspection or otherwise and for its each subsequent compliance verification, if any, shall pay fee of Rs. 1.5 lakh plus GST as applicable. In case any dental college / institution / university, after having afforded reasonable opportunities of being remitted the fee to the college, fails to pay any of the fee due to it, Dental Council of India shall make its appropriate recommendation to the Central Government, either to stop admission under 11A of the Regulation till such college / institution makes the payment to DCI or to initiate process of withdrawal recognition u/s 16A of the Dentists Act.

6. In the Principal Regulation 14, clause (1), for clause (1), the word and figure "*Rs.2.00 lakh for each speciality in the form of a Demand Draft/Pay Order in favour of Dental Council of India, payable at Delhi*'" is substituted by words "*Rs.4.5 lakhs* plus GST as applicable, *for each speciality in the form of a Demand Draft/Pay Order/NEFT/RTGS in favour of Secretary, Dental Council of India, payable at Delhi.*"

7. In the Principal Regulations 14, clause (1), at the end of the clause, following proviso are hereby inserted, namely:-

Provided that the Government Dental Colleges shall be exempted from any kind of fee, including fee for application/inspection either for establishment of the college or increase of seats or renewal or recognition or periodic or pre-PG / annual fee.

Provided further that any scheme for establishment of new dental college / introducing new higher course / increase of seats at UG or PG courses is once registered and forwarded by the Central Government to Dental Council of India, the fee shall not be refunded in any circumstances.

8. In the Principal Regulation 17, clause (3), for clause (3), the following clause is hereby substituted, namely:-

(3) The application for renewal of permission shall be submitted to the Council alongwith a non-refundable fee of Rs. 1.5 lakhs plus GST as applicable from time to time, separately for each inspection or compliance verification, as a case may be, for renewal of permission, with a copy to the Central Government, six months prior to the expiry of the current academic session. The recommendation of the Council in all cases of renewal shall be made, and Central Government shall take its final decision and communicate it to the respective dental college on or before such date as may be prescribed in the time schedule as amended from time to time

9. In the Principal Regulation 17, clause (3), after clause (3), the following proviso are hereby inserted, namely:-

Provided further that each and every dental college / institution / university except Government Dental Colleges for purpose of recognition of PG courses in any speciality awarded by its affiliating university, shall pay a recognition fee of Rs.3 lakhs plus GST as applicable for recognition inspection, and Rs.1.5 lakhs plus GST as applicable for subsequent inspection / compliance verification.

Provided further that after recognition of MDS courses u/s 10 (2) of the Dentists Act, each and every dental college / institution / university except Government Dental Colleges, shall pay every year, an annual fee of Rs.25,000, for each speciality plus GST as applicable on or before 31st March of every year.

Provided further that no annual fee shall be applicable to PG diploma course.

Provided further that each and every recognized dental college shall pay fee of an amount of Rs. 1.5 lakh plus GST as applicable for its each periodic/pre-PG inspection conducted by DCI through its inspector(s) / visitor(s) either on complaint or on periodic basis or as pre-PG inspection or otherwise and for its each subsequent compliance verification, if any, shall pay fee of Rs. 1.5 lakh plus GST as applicable from time to time.

10. In the Principal Regulation 20, clause (1), for clause (1), the word and figure "*Rs.2.00 lakh (Rs.2.00 lakh per speciality in case of increase of admission capacity in postgraduate courses) in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Dental Council of India, payable at Delhi*'" is substituted by words "*application fee of Rs.4.50 lakh plus GST as applicable (Rs.4.50 lakh plus GST (as applicable) per speciality in case of increase of admission capacity in postgraduate courses) in the form of Demand Draft/Pay Order/NEFT/RTGS in favour of Dental Council of India, payable at Delhi.*"

11. In the Principal Regulations 20, clause (1), at the end of the clause, following proviso is inserted, namely:-

Provided that the Government Dental Colleges shall be exempted from any kind of fee included fee for application/inspection either for establishment of the college or increase of seats or renewal or recognition or periodic or pre-PG / annual fee.

Provided further that any scheme for establishment of new dental college/introducing new higher course/increase of seats at UG or PG courses is once registered and forwarded by the Central Government to Dental Council of India, the fee shall not be refunded in any circumstances.

12. In the Principal Regulation 23, after clause (4), inserted by 3rd Amendment, a clause (5) is hereby inserted, namely:-

(5) The college shall pay inspection fee of Rs. 1.5 lakhs plus GST as applicable for renewal of permission for increase of seats for UG/for each PG speciality well in advance at appropriate time, so as to timely conduct the inspection for renewal for next academic year till the college is recognized for increase of seats. Further the college shall pay Rs. 1.5 lakhs plus GST as applicable for each subsequent compliance verification, if any, within 15 days from the date of inspection.

Provided further that each and every dental college / institution / university except Government Dental Colleges for purpose of recognition with increase of seats either at UG or at PG courses in any speciality awarded by its affiliating university, shall pay a recognition fee of Rs.3 lakhs plus GST as applicable for recognition inspection, and Rs.1.5 lakhs plus GST as applicable for subsequent inspection / compliance verification.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./17/2020-21]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12.1.2006 and amended *vide* notification dated 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016, 05.07.2017, 05.07.2017, 12.10.2017, 15.03.2018, 11.06.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.04.28 20:34:32 +05'30'